वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाता है ।

आयकर सम्बन्धी छापे

1260. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री सुरेश पचौरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के दौरान आयकर आयुक्तों द्वारा आयकर के संबंध में कितने छापे मारे गए हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप आयकर-अपवंचन के कितने मामलों का और काले धन की कितनी राशि का पता लगा है;

(ग) आयकर-अपवंचन के लिए कितनी शास्ति लगाई गई है और उसकी कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(घ) पिछले छः महीने के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में मारे गए छापों को प्रकाश में आए काले धन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) दिनांक 31 अक्टूबर, 1992 को समाप्त हुई एक वर्ष की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने 5,891 तलाशियां ली थीं, जिनके दौरान 419.58 करोड़ रुपये की लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां अभिगृहीत की गई थीं तथा कर निर्धारितियों ने आयकर अधिनियम की धारा 132 (4) के अधीन 502 करोड़ रुपये की आय की घोषणा की थी ।

(ग) सूचना "शून्य" है क्योंकि संगत मामलों में दण्ड लगाने की स्थिति नहीं आई थी ।

(घ) दिनांक 31 अक्तूबर, 1992 को समाप्त हुए पिछले 6 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 64 तलाशियां ली गई थीं । इन तलाशियों के दौरान 6.75 करोड़ रुपये मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं तथा जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन 6.71 करोड़ रुपये की आय की घोषणा की थी ।

खर्च में कमी करने के लिए अपनाए गए उपाय

1261. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा खर्च में कमी करने के लिये अपनाए जा रहे मितव्ययता संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे उपाय अपनाने से कितनी धनराशि की बचत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) व्यय में कमी करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मितव्ययिता संबंधी उपायों में विभिन्न स्तरों पर पदों में कटौती करना, प्रथम श्रेणी में हवाई-यात्रा करने पर प्रतिबंध, दौरे के समय होटल सूटों में रहने पर प्रतिबंध, दौनों घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर 20% समग्र कटौती, पेट्रोल/डीजल की खपत/व्यय में कटौती समय परिवहन के व्यय पर नियंत्रण, 10% टेलीफोन लाइनों को वापस करना, सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजनों पर तथा मनोरंजन (दोपहर का भोजन/रात्रि भोज सहित) पर प्रतिबंध, वाहन खरीदना, सजावटी प्रकाश-व्यवस्था करना, बिजली की खपत के व्यय में कटौती आदि शामिल हैं ।

(ख) विभिन्न मदों पर व्यय संबंधी सूचना केन्द्रीय तौर पर समेकित नहीं की जाती है । अतः इन उपायों के वित्तीय प्रभावों के बारे में बता पाना कठिन है ।